संख्या–627/2012/14(12)/XXVII(8)/06

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः:दिनांक 3 जुलाई,2012

विषयः–सिविल एवं विद्युत सकर्म संविदाकारों के संबंध में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये लागू समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–852/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/12–13/देहरादून,दिनांक 24.05.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के संबंध में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये लागू समाधान योजना के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ऐसे सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगे उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की देयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है,अतः आयात न करने वाले सविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।जहां तक दिनांक 31.03.2012 से पूर्व की संविदाओं के विरूद्ध प्राप्त भुगतान का संबंध है,उस पर नियमानुसार पूर्व समाधान योजना के अन्तर्गत देय समाधान राशि के अनुरूप धनराशि की गणना की जाय,क्योंकि संविदाकारों द्वारा तत्समय लागू समाधान योजना के अनुसार अनुबन्ध किया गया था,अतः उनके द्वारा पूर्व में अपनायी गयी समाधान योजना के विरूद्ध कर दर में एक पक्षीय रूप में वृद्धि करना नियमानुकूल नहीं होगा।

विषयगत संदर्भ में उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।